कार्यालय, बाल श्रमिक परियोजना समिति, जमुई (बिहार)
बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के संचालन हेतु विज्ञापन/सूचना

पत्रांक.......50............/बा0श्र0प0स0, जमुई, विज्ञापन 2017, दिनांक 11/10/2017

बाल श्रमिक परियोजना समिति, जमुई जिले के बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण 2016 के आधार पर चिन्हित बाल श्रमिकों हेतु 40 (चालीस) बाल श्रमिक विशेष विद्यालय का राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के दिशानिर्देश के अनुरूप संचालन किया जाना है। उक्त विशेष विद्यालय के संचालन में प्रावधानिक बजट के आलोक में, व्यय की गई कुल राशि के वहन की भागीदारी परियोजना समिति एवं स्वंय सेवी संस्थाओं के बीच NCLP की दिशा निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगा। ईच्छुक प्रतिष्ठित एवं निबंधित स्वंय सेवी संस्था, निबंधित कम्पनी, फर्म, ट्रस्ट जो कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित हैं एवं निम्न अर्हता तथा शर्त के साथ निम्न दस्तावेज एवं आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

नियम एवं शर्तें :–

1. संस्था भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन निबंधित हो।

2. संस्था का स्मृति पत्र, नियमावली एवं कार्यकारणी की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. संस्था का विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन कर निर्धारण वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. संस्था का 2013–14, 2014–15, 2015–16 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम आय–व्यय 10,00,000/– (दस लाख) रूपये से कम नहीं होना चाहिए।

5. संस्था का आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन नं0) प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

6. विगत तीन कर निर्धारित वर्षों का आयकर रिटर्न कर निर्धारण वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. संस्था का GST (सेवाकर) प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

8. संस्था का काली सूची में नाम दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ–पत्र (नोटरी पब्लिक) संलग्न करना होगा।
9. संस्था को सुरक्षित राशि के रूप में मो0 10,000/– (दस हजार) रूपये मात्र का डी0डी0 जो जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, बाल श्रमिक परियोजना समिति, जमुई के नाम से देय होगा।

10. संस्था का किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी परियोजना के अधीन बाल श्रमिक विद्यालय संचालन का कार्यानुभव होना चाहिए। इस संबंध में मात्र किसी कार्यादेश को मान्यता नहीं दी जाएगी। कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र/बाल श्रमिक/Child Line से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11. किसी भी संस्था को अधिकतम 4(चार) बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

12. संस्था के बैंक खाते में 50,000/– (पचास हजार) रूपये की धनराशि Balance के रूप में होना चाहिए। (प्रमाण पत्र अद्यतन Bank Statement)

13. संस्था नीति आयोग के Portal दर्पण पर संस्था के रजिस्ट्रेशन की यूनिक आई0डी0 होनी चाहिए।

14. अभिरूचि आमंत्रण प्रस्ताव में संलग्न किये गए सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेज को वैद्य नहीं माना जाएगा।

15. संबंधित विस्तृत जानकारी जमुई जिला के वेवसाईट www.jamui.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक स्वंय सेवी संस्थायें/निबंधित फर्म/कम्पनी अपना प्रस्ताव बाल श्रमिक विशेष विद्यालय संचालन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में दिनांक 13/11/2017 तक स्पीड पोस्ट/रजिष्ट्री के माध्यम से अपना प्रस्ताव "परियोजना निदेशक, बाल श्रमिक परियोजना समिति, जमुई 811307" को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

- संस्था के चयन का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा तथा चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- विज्ञापन में संशोधन करने एवं विज्ञापन को पूर्णतः एवं अंशतः रद्द अथवा संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- बिना कोई कारण बताये अभिरूचि आमंत्रण रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

विश्वासभाजन

15/11/10/17

जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष,
राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, जमुई।